न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 96 / 2022

वादीगण :—

1. शोभा पत्नि धर्मीचन्द जी पुत्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी जिला पाली हाल निवासी महालक्ष्मी गिफ्ट सेन्टर, नम्बर 1575 1st Main road, kalyan Nagar, T. Dasarahalli Bangalore 560057
2. संगीता सोलंकी पत्नि श्री गौतम जी सोलंकी पुत्री श्री दानाराम जी जाति घांची निवासी सोजतसिटी जिला पाली हाल निवासी 165 T.N. Pura Main Road Nandini Layout Alanahalli Mysore Karnataka 570028
3. पूजा देवडा पत्नि श्री प्रेमारामजी देवडा पुत्री श्री दानाराम जी जाति घांची निवासी सोजतसिटी जिला पाली हाल निवासी 3 / 2024 Gokul Concorde, Gokul Towship Agrawal Garden Agashi Road Virar (WEST) Palghar Maharastra. 401303
4. ज्योति परिहार पत्नि श्री दिनेश पंवार पुत्री श्री दानाराम जी जाति घांची निवासी सोजतसिटी जिला पाली निवासी Santosh Jewellers No 36 Tank Road Street Thirumullai Royal Chennai 600062
5. संतोष पुत्री श्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी 340 बजरंग नगर, पाली तहसील जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. दानाराम पुत्र श्री नारायणलाल जाति घांची निवासी सोजतसिटी हाल निवासी 304 बंजरग नगर पाली।
2. सतीस कुमार पुत्र श्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी हाल निवासी 304 बजरंग नगर पाली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी एवं श्री भरतनाथ, श्री रविन्द्र प्रजापत अधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक : 15/01/2025

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर क्रमशः 3811/1 रकबा 0.1200 है0 किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 3823/1 रकबा 0.0450 है0 किस्म चा0प्र0 तथा सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के खसरा नम्बर 247 रकबा 1.1000 है0 किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 248 रकबा 1.5000 है0, किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 249/1 रकबा 0.4300 है0 किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 52/1 रकबा 0.6100 है0 किस्म बा0अ0 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी कब्जा सुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज सुदा है। उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि सोजत चक प्रथम में रिवाईज्ड सैटलमेंट के गत खसरा नम्बर 210/3 व 210/4 से वर्तमान खसरा संख्या 3811 बने है। तथा गत सैटलमेंट के खसरा नम्बर 210/11 से वर्तमान खसरा नम्बर 3823 बनाये गये है जो खसरा मिलान से साबित है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के अनुसार गत खसरा संख्या 210/3, 210/4 व 210/11 में वादीगण के दादा नारायणलाल वल्द नैनाजी के नाम व अन्य सहखातेदारान के नाम से खातेदारी कब्जा काश्त की दर्ज सुदा स्थित थी जिस पर वादीगण के दादा बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे थे। वर्तमान वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। सोजत चक द्वितीय की आराजी कृषि भूमि के गत खसरा संख्या 1558 से वर्तमान खसरा नम्बर 52 बनाये गये है, गत खसरा नम्बर 1375 से वर्तमान खसरा संख्या 237, 247, 248, 249 बनाये गये है, जो खसरा मिलान से साबित है उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2026 से 2028 के अनुसार वादीगण के दादा नारायण वल्द नैनाजी एवं अन्य सहखातेदारो के नाम से खातेदारी दर्ज सुदा थी। उक्त कृषि भूमि के सभी सहखातेदारो द्वारा पूर्व में अपने अपने बंट व हिस्से अलग अलग करवा कर अलग अलग काबिज हो चूके है जिससे वादीगण के दादा नारायण वल्द नैना जी बंट व हिस्से में कृषि भूमि सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 247 रकबा 1.1000 है0, खसरा संख्या 248 रकबा 1.5000 है0, खसरा संख्या 249/1 रकबा 0.4300 है0, खसरा संख्या 52/1 रकबा 0.6100 है0 कृषि भूमि आई तथा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 3811/1 रकबा 0.1200 है0, खसरा संख्या 3823/1 रकबा 0.0450 है0 कृषि भूमि आई। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बराबर–बराबर हक हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज अवश्य है लेकिन मौके पर सभी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है। उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नारायण जी की खातेदारी कब्जा काश्त की थी। उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है तथा वादीगण सहदायिक है। जिसमें वादीगण का वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में बाई वर्थ हक एवं अधिकार निहित हो चुका है। नारायण जी के स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दानाराम जी के नाम खातेदारी दर्ज की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जिसका पुश्तैनी कृषि भूमि में सभी का बराबर हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण का सगा भाई है। दानाराम की वंशावली अनुसार पत्नि प्रेम देवी है तथा दानाराम के शौभा, संगीता, पूजा, ज्योति, सतोष कुल 5 पुत्रियां तथा सतीश 1 पुत्र है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

वादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का बराबर बराबर हक हिस्सा एवं अधिकार निहित है। वादस्थ आराजी कृषि भूमि में प्रत्येक वादी का 1/7 – 1/7 हक हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/7 – 1/7 हिस्सा ही बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिलकर वादीगण को उनके हक हिस्से से एवं उक्त कृषि भूमि से वंचित करना चाहते है, जिससे वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से वंचित हो जावेगा। वादस्थ आराजी कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि है। तथा वादीगण सहदायिक है जिससे वादस्थ आराजी कृषि भूमि में वादीगण का बाई वर्थ हक व अधिकार निहित हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पूर्ण कृषि भूमि वेचान हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण की पुश्तैनी संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति होने से वादीगण वादस्थ आराजी कृषि भूमि में संयुक्त रूप से 5/7 हिस्सा की खातेदारी हक की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण के हक हिस्सा सहित कृषि भूमि को भू माफियों को ओने पोने दामो में बेचान हस्तान्तरण करने पर आमदा है तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में बेदखल करने पर उतारू है जिसे स्थायी निषेधाज्ञा से रूकवाया जाना भी कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस पर अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम एवं सोजत चक द्वितीय की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी सम्पति होने से सोजत चक द्वितीय के खसरा नम्बर 247 रकबा 1.1000 है0, खसरा नम्बर 248 रकबा 1.5000 है0, खसरा नम्बर 249/1 रकबा 0.4300 है0, खसरा नम्बर 52/1 रकबा 0.6100 है0 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.6400 है0 की कृषि भूमि तथा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 3811/1 रकबा 0.1200 है0 एवं खसरा संख्या 3823/1 रकबा 0.450 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.1650 है0 की कृषि भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 5/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमाने तथा वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में वादीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा अवरोध एवं दखल अन्दाजी पैदा न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य नौकर एजेन्ट आदि से करावे तथा वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बेचान, हस्तान्तरण, रहन, बक्सीस, वसीयत आदि करने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या संख्या 1 व 2 की तामिली रिपोर्ट जरिए रजिस्टर्ड डाक लेने से इंकार होकर लौटी, जिससे तामिल की श्रेणी में माना जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बार–बार आवाजे लगवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 3 जबाव दावा पेश नहीं करने चाहने से जबावा दावा बन्द किया गया है।

उक्त वाद प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा संतोष के साक्ष्य के मुख्य परिक्षण में शपथ पत्र (पी डब्ल्यू – 1) प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया है तथा संतोष पुत्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी के बयान कलमबद्ध करवाये गये है। कलमबद्ध बयान अनुसार मुख्य परीक्षण में पेश शपथ पत्र दिनांक 12.04.2023 को प्रस्तुत किया है जिसके प्रत्येक पृष्ठ

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

ए से बी पर मेरे हस्ताक्षर किए है। मैंने वाद पत्र के साथ राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी संवत् 2074–77 पेश की है, जो प्रदर्श – 1 है, जिसके खाता संख्या 795 जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता संख्या 866 प्रदर्श 2 है, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – 3 है, जमाबंदी संवत् 2022–25 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 है, खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – 5 है, खसरा पत्रक भू प्रबंधक विभाग का प्रदर्श – 6 है, जमाबंदी संवत् 2026–29 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – 7 है। जमाबंदी संवत् 2026–29 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – 8 है। उक्त कृषि भूमि मेरे दादाजी की खातेदारी कृषि भूमि है जो मेरी पुश्तैनी संयुक्त परिवार की है जिसमें मेरा 1/7 हक हिस्सा बनता है। इसी प्रकार ज्योति परिहार पत्नि दिनेश पंवार पुत्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी (पी डब्ल्यू – 2) द्वारा भी वादी के साक्ष्य के मुख्य परिक्षण में शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया है तथा ज्योति परिहार के बयान कलमबद्ध करवाये गये है। कलमबद्ध बयानो में यह स्वीकार किया कि शपथ पत्र में लिये गये सभी तथ्य मेरी जानकारी में है। वाद में वर्णित कृषि भूमि मेरी पुश्तैनी संयुक्त हिन्दु परिवार की है जिसमें मेरा भी हक व अधिकार निहित है जो मुझे दिलाया जाए। वाद पत्र के साथ प्रदर्श – 1 से प्रदर्श – 8 तक दस्तावेज पेश किए जो सही है। इसी प्रकार शोभा पत्नि धर्मीचन्द पुत्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी (पी डब्ल्यू – 3)तथा संगीता सोलंकी पत्नि गौतम सोलंकी पुत्री दानाराम (पी डब्ल्यू – 4), पूजा देवडा पत्नि प्रेमाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी (पी डब्ल्यू – 5) द्वारा भी वादी के मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा बयान कलमबद्ध करवाये जो सा0मि0 है। उक्त में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराकर सही होना स्वीकार किया है। जिरह प्रति0 शुन्य रही। अन्य शहादतवादी पेश नहीं करना चाहने से शहादतवादी बंद की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर क्रमशः 3811/1 रकबा 0.1200 है0 किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 3823/1 रकबा 0.0450 है0 किस्म चा0प्र0 तथा सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के खसरा नम्बर 247 रकबा 1.1000 है0 किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 248 रकबा 1.5000 है0, किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 249/1 रकबा 0.4300 है0 किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 52/1 रकबा 0.6100 है0 किस्म बा0अ0 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी कब्जा सुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज सुदा है। चूंकि उपरोक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की संयुक्त परिवार की पुश्तैनी कब्जा सुदा मालिकाना होने से वादीगण का उक्त कृषि भूमि में संयुक्त रूप से 5/7 हिस्सा का हक व कानूनन अधिकार होने से उक्त कृषि भूमि में वादीगणो को 5/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत ने प्रकरण से किसी प्रकार से राज्य हित प्रभावित नही होने तथा विधि अनुरूप निर्णयन में कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मय शपथ पत्र, शहादतवादी पीडब्ल्यु–1, पीडब्ल्यु–2, पीडब्ल्यु–3, पीडब्ल्यु–4, पीडब्ल्यु–5 तस्दीकसुदा शपथ–पत्र एवं प्रदर्शित दस्तावेजात प्रदर्श – 1 से प्रदर्श – 8 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादीगण तथा तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

ण में वादिगण प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रिया तथा प्रतिवादी संख्या 02 की बहन होना बताया गया है। वादीगण द्वारा जरिये वाद वादरथ भूमि को पैतृक होना बताकर उसमें अपने नोशनल शेयर के आधार पर वादीगण को सयुक्त रूप से 5/7 हक हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है। उल्लेखनिय है कि किसी भी कृषि भूमि मे खातेदारी घोषित किये जाने से पूर्व मूल पुरूष के तमाम विधिक वारिसान की जानकारी रेकर्ड पर होना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह पुष्टि होती है कि वादरथ भूमि पुश्तैनी व पैतृक है। जिसमें वादीगण का भी नोशनल शेयर बनता है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादा नारायणलाल पुत्र नेना के नाम की खातेदारी दर्जसुदा अवश्य थी, जो राजस्व रेकर्ड से सावित है। नारायणलाल के बाद उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 01 के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने से प्रतिवादी सं0 01 के सभी विधिक वारिशान वादीगण व प्रतिवादी सं0 02 का भी हक व अधिकारी बनता हैं। जिससे उक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 व 02 प्रत्येक का 1/7–1/7 हक हिस्सा कानूनन बनता हैं। लिहाजा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को संयुक्त रूप से वादस्थ भूमि के 5/7 हक हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 को शेष 2/7 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर क्रमशः 3811/1 रकबा 0.1200 है0 किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 3823/1 रकबा 0.0450 है0 किस्म चा0प्र0 तथा सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के खसरा नम्बर 247 रकबा 1.1000 है0 किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 248 रकबा 1.5000 है0, किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 249/1 रकबा 0.4300 है0 किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 52/1 रकबा 0.6100 है0 किस्म बा0अ0 में वादीगण को संयुक्त रूप से वादस्थ भूमि के 5/7 हक हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 को शेष 2/7 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदुनसार इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण :– **बनाम** **प्रतिवादीगण :–**

1. शोभा पत्नि धर्मीचन्द जी पुत्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी जिला पाली हाल निवासी महालक्ष्मी गिफट सेन्टर, नम्बर 1575 1st Main road, kalyan Nagar, T. Dasarahalli Bangalore 560057
2. संगीता सोलंकी पत्नि श्री गौतम जी सोलंकी पुत्री श्री दानाराम जी जाति घांची निवासी सोजतसिटी जिला पाली हाल निवासी 165 T.N. Pura Main Road Nandini Layout Alanahalli Mysore Karnataka 570028
3. पूजा देवडा पत्नि श्री प्रेमारामजी देवडा पुत्री श्री दानाराम जी जाति घांची निवासी सोजतसिटी जिला पाली हाल निवासी 3/2024 Gokul Concorde, Gokul Towship Agrawal Garden Agashi Road Virar (WEST) Palghar Maharastra. 401303
4. ज्योति परिहार पत्नि श्री दिनेश पंवार पुत्री श्री दानाराम जी जाति घांची निवासी सोजतसिटी जिला पाली निवासी Santosh Jewellers No 36 Tank Road Street Thirumullai Royal Chennai 600062
5. संतोष पुत्री श्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी 340 बजरंग नगर, पाली तहसील जिला पाली।

1. दानाराम पुत्र श्री नारायणलाल जाति घांची निवासी सोजतसिटी हाल निवासी 304 बंजरग नगर पाली।
2. सतीस कुमार पुत्र श्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी हाल निवासी 304 बजरंग नगर पाली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 96/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी एवं श्री भरतनाथ, श्री रविन्द्र प्रजापत अधिवक्तागण वादी तथा तहसीलदार सोजत प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक दावा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर क्रमशः 3811/1 रकबा 0.1200 है0 किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 3823/1 रकबा 0.0450 है0 किस्म चा0प्र0 तथा सरहद मौजा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

चक द्वितीय के खसरा नम्बर 247 रकबा 1.1000 है0 किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 248 रकबा 1.5000 है0, किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 249/1 रकबा 0.4300 है0 किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 52/1 रकबा 0.6100 है0 किस्म बा0अ0 में वादीगण को संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि के 5/7 हक हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 को शेष 2/7 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदुनसार इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत –-

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला-पाली (राज.)

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/07/25 को जारी किया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)